

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प. 513/नविधि/99वाट

जयपुर, दिनांक:- 6.7.2002

-आदेश-

नगर विकास न्यायों, स्थानीय निकायों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि भूमि पर ऐसी अनेक आवासीय योजनाएँ विकसित हो गई हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो गये हैं किन्तु आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र के लिए निर्धारित पैरामीटर का पालन नहीं किया है। ऐसे निर्माण सड़क सीमा एवं सुविधा क्षेत्र में कर दिये गये हैं। स्थानीय निकाय एवं नगर विकास न्याय इन निर्माणों को पकड़ करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं किन्तु नगर नियोजन के निर्धारित पैरामीटर का अधिक जल्दोजल्द करना भी उचित नहीं है। इस समस्या के मानवीय पहलू को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए राज्यसरकार ने अपने आदेश क्रमांक-प. 513/नविधि/99वाट दिनांक 11-1-2002 के द्वारा आवासीय एवं स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सुविधा क्षेत्र के लिए स्वीकृत पैरामीटर में 5 प्रतिशत शिथिलता का अधिकार जोनल कोर्टों को दिया गया है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत नगर विकास न्यायों एवं स्थानीय निकायों को उनी अनुसार स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए ऐसी आवासीय योजनाएँ जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है, में आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र के लिए निर्धारित पैरामीटर में 5 प्रतिशत शिथिलता करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।

आज्ञा है,

6.7.02

। एच. एस. भारद्वाज ।

उपशासन सचिव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए :-

1. सचिव, ना. गृहणर्करी मण्डल, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग ।
4. संभागीय आयुक्त, तमस्त/जिला जेकर, तमस्त ।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर विकास, जयपुर/जोधपुर/कोटा ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज्य, जयपुर को भेजकर देना है कि तमस्त नगर-परिषदों/नगरपालिकाओं को अपने स्तर से सूचित करने का काम करें ।
8. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास मन्त्रालय, तमस्त ।
9. सचिव न्यायों ।

(350)

उपशासन सचिव